

**THE DISPLACED PERSONS (COM-
PENSATION AND REHABILITA-
TION) AMENDMENT BILL, 1960**

THE MINISTER OF REHABILITATION
AND MINORITY AFFAIRS (SHRI MEHR
CHAND KHANNA); Sir, I move:

"That the Bill further to amend the
Displaced Persons (Compensation and
Rehabilitation) Act, 1954, as passed by the
Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act was passed about six years ago. Under that Act we have paid compensation up till now to nearly 4,57,000 persons. The total number of persons who were to be paid compensation under the parent Act was about 7,73,000 and the number of rehabilitation grant applications was about 11,700, making a total of roughly 4,85,000. As I have stated, compensation to about 4,57,000 persons has already been paid and we have only a few thousand more persons, roughly about 25,000 to 30,000 persons, who remain to be paid. The Act was passed six years back. Then rules were passed by this House towards the end of 1955 and under the Act compensation to the extent of nearly Rs. 127 crores has already been paid, over Rs. 56 crores in cash and about Rs. 70 crores by transfer of properties and adjustment of public dues, and as matters stand at present, I am hopeful that within the next few months, the main work of the payment of compensation to displaced persons from West Pakistan would have been completed except for the residuary problem of the hard cases which may have to be carried over for a little longer period. So the main object of bringing forward this Bill is not with a view to, in any way, changing either the quantum of compensation to be laid or the mode of compensation to be paid under the graded system that was approved by the House when we passed those rules. The main difficulty has been that

during the last year or two we have come up against certain hurdles which are more in the nature of legal flaws or ambiguities on account of which certain rulings have been given by certain High Courts and it is with a view to removing those ambiguities that the Government had to bring in this Bill before the House.

There are only 3 or 4 important clauses which I wish to be amended and I will deal with them one by one. The first relates to clause 2, to cooperative societies. Let me take a little time in explaining what a public due is. The compensation pool comprises of evacuee property that is left by the Muslims who have gone away to Pakistan in the Western region. The price of that evacuee property, according to our estimate, is about Rs. 100 crores. Then there is the Government-built property, all these townships that you see round about Delhi—and we have built such townships all over India—and the number of units completed is about 2 lakhs and the cost of the tenements and the houses completed and the plots developed is round about Rs. 50 to 60 crores.

Another item that forms part of the Compensation Pool is the loan given to displaced persons; loans were given for various purposes, loans were given for the setting up of industries, loans were given for the setting up of trade and business and then there were big loans given by the Rehabilitation Finance Administration, the limit of which went up to one lakh of rupees. The total amount comes to roughly Rs. 25 to Rs. 30 crores. That was our Compensation Pool. Under the Act and the Rules that were subsequently framed, a concession was given to a displaced person that if he owed a certain amount of money to the Government, he had the right, according to certain conditions and rules, to have it adjusted against his compensation. Let me give an example. Suppose a man has taken a loan of Rs. 10,000 or Rs. 20,000 from the R.F.A.

[Shri Mehr Chand Khanna.] try, which was phased to be completed so expeditiously and the compensation which had been given to lakhs of people, perhaps all that work could be undone. So, as a precautionary measure, I have brought this amending clause with a view to taking powers to see that all those acts which were done by the Deputy Chief Settlement Commissioners — whether one, two, three or four—would be legal and valid and that on account of that there should not be any legal flaw or legal lacuna.

Now, Sir, I would like to say a few words about clause 4. Nine or ten years ago, lakhs of people came from West Pakistan. There was a very heavy exodus and a mass exodus, and a very large number of our unfortunate Muslim brethren had to leave India and go to Pakistan. At that time we had about sixty to seventy lakh acres of land in Punjab and PEPSU. Within a very short period, maybe within a year or two, lands were allotted in Punjab. It is very creditable to the Punjab Government and to all those who worked for the allotment scheme, that Punjab which was a torn province, a shattered province, a province, the major part of which had gone away to Pakistan, which was a devastated province, that lands were immediately allotted. About four or five lakh displaced families were resettled on that land. Time was the essence. Speed was the essence and we went right ahead. Later on, it came to our knowledge that in certain cases, unfortunately some of my friends took advantage and received excess allotments, allotments to which they were not entitled. You have been hearing about it off and on in some of the newspapers in the Punjab. So, when the allotment is cancelled, the Punjab Government has been realising penal rent from those who took allotment in excess of their allotments. This has gone on for some time now. We did not want to put any premium on excess or unauthorised allotments. One of our friends went to the High Court and

we were told that unless there was legal sanction behind it, these penal rents could not be realised. So, I have brought forward this amendment simply with a view to charging rent from those who received excess allotment or allotment in excess of their due, what they were entitled to under the quasi-permanent allotment scheme.

There are two more major changes. One relates to the restoration of property to a Muslim under section 27, under the powers which have been given to the Custodian-General. I would like to clarify the position a little here. An evacuee who has been declared as an evacuee or whose property has been declared as evacuee property, either he or his heir, has got the right to apply to the Government for the restoration of that property. As there was mass exodus, property worth about Rs. 100 crores became evacuee property. The number of properties involved was round about 2,75,000, spread all over India. Cases came to our notice that certain properties, in the process of vesting these, which should not have been declared as evacuee property, were declared as evacuee property. Under section 16 of the Act, there are powers, when a person applies to the Government or his heir applies to the Government, to restore that property to the rightful owner, provided the Government is satisfied that the person concerned should not have been declared as an evacuee. During the last four or five years that I have been in office, I think, in a few thousand cases the property has been restored and the value of that property is over Rs. 3 to Rs. 4 crores. We have dealt with these cases on human considerations, taking the view that if an unfortunate person, on account of the difficult conditions that prevailed, has been declared as an evacuee, my duty as a Minister is to see that where I work for the rehabilitation of a displaced person, I should also see that I do not take away the property of someone who is a national of India, and as such, with a view to rehabilitating a

Under the normal condition when the loan was advanced, that loan was to be repaid according to certain instalments carrying a certain rate of interest and that loan had to be repaid in cash tout under our Act, we gave the displaced person the concession, the privilege, the alternative that instead of repaying that loan in cash, if he has to receive compensation from the Government, he can have it adjusted, meaning thereby that instead of paying in cash, which might retard his rehabilitation or might eat up his capital to a great extent, he could have it adjusted against his claim and we further gave him the concession of having it adjusted even against the claims of his own relations or friends. By experience we found that where a loan advanced by the R.F.A., the State Governments and the Government of India the value of which was about Rs. 25 to Rs. 30 crores, as I have just stated, could be adjusted as public dues, the loans that were advanced to Cooperative societies could not be treated as such. Now we gave loans to certain individuals, displaced persons, who formed themselves into co-operative societies. There are quite a number of them in Jaipur. There are some in U.P. There are some in other places, who took money from the State Governments, money that was advanced by the Government of India. A set of displaced persons formed themselves into a co-operative society and they built housing colonies. It was found that, whereas' in the case of an individual, who was given a loan, his loan could be treated as public dues and adjusted against his claim, in the case of a co-operative society that loan could not be adjusted and treated as public dues. So, we are giving this concession to all the members of the co-operative societies, who are displaced persons, who have, with the money that was advanced by the Government of India through the State Governments, set up housing colonies or business or trade. We are giving them the same concession or the same privilege that is afforded to their brother displaced persons under

the compensation rules which up till now they could not exercise on account of this legal flaw. The amount involved is about a crore of rupees. So, instead of asking the displaced persons to pay back that Rs. 1 crore, which it would be rather difficult for them, the Government is giving them the concession of repaying that loan through adjustment of their claims or through associations, as is being allowed in the case of claimants and non-claimants. That is clause No. 2.

Then, I come to clause number three. It is about the appointment of Deputy Chief Settlement Commissioners. When we formulated the rules, we laid down that we would appoint one Deputy Chief Settlement Commissioner. But when we saw the volume of work, the idea was to expedite the disposal of compensation claims. I do not want to take any credit for it, but certainly credit is due to a band of my loyal officers who have worked very hard these four or five years. As I have just said, during the period of about four years we have been able to dispose of more than 4 lakhs claims involving over Rs. 125 or Rs. 130 crores. In the process of the expeditious disposal of compensation claims we appointed a number of Deputy Chief Settlement Commissioners with the best of motives, with the best of intentions. Not long ago it was brought to our notice—not directly but we came to know of it from a source—that some of our friends who were deeply interested in keeping this Ministry alive—after all these years a large number of vested interests have been created in various parties— would go in for a writ or an injunction before a High Court. As you are only empowered to appoint only one Deputy Chief Settlement Commissioner and you have appointed more than one—maybe three or four—all the decisions taken by them in the course of the last three or four years with a view to giving compensation to displaced persons, to hearing appeals, to hearing revisions, to giving judgments, could be set aside. It means that the work of this Minis-

displaced person, I make a national of India a displaced person or a refugee. We have done this on human considerations, with a human eye. But some things came to our notice which are rather unfortunate, for which I have to take some legal sanction. And that is this. That way the Act gives me the power to restore the property to a Muslim who is adjudged not to be an evacuee. A difficulty has arisen. For example, I give you an instance. It is rather important. There is a man whose name is Din Mohammad. We treat Mr. Din Mohammad as an evacuee, and his property is also treated as evacuee property. Say, his property is situated in a mohalla in Delhi or it may be anywhere in the Western Zone. Suppose that his house number is 96. Now, Mr. Rahim Bux has been living in that house all along. When we advertise that house for auction or for allotment, Mr. Rahim Bux comes to us and says, "I am a national of India. I have been living in this house all along. Here is my receipt for the house tax or for the income-tax which I have paid. I have been paying certain taxes. You thought that the house belonged to Mr. Din Mohammad. But he has gone to Pakistan and the owner is Rahim Bux." Under the law, as it stands at present, there is no power vested in me under which I can restore that house to Mr. Rahim Bux because Mr. Rahim Bux is neither an evacuee nor is his heir an evacuee, so that he can come forward and take up the case to me for restoration under section 16. So, power has been given to the Custodian-General that in such cases where under section 16 a property cannot be restored, then under section 27 the Custodian-General can deal with such cases. Sir, once the property vested in the President. It is likely that it might have been allotted; it might have been allotted to a displaced person. It is quite likely that he might have made certain improvements to it. So, my intention is that, as far as possible, it should be my duty to see that the property is restored to the original

owner. But circumstances might be such, the time factor might be such, that it might be humanly impossible for us to restore that property. Sir, as you would recall, in 1956, I was given certain powers in the case of Meos so that where it was not possible to restore the original holding to a Meo, there were three courses open to me—either to give him land or give him cash or give him both land and cash, provided the original land could not be restored to him. So, we had taken that power. In cases of this nature where the Custodian-General holds that the property is to be restored, in spite of the fact that it has been acquired and we are under the impression that it is an evacuee property, these three alternatives will apply.

Sir, there is one clause about the Advisory Board. When it passed the original Act, Parliament created a Board called the Advisory Board. This Board has been functioning since we started implementing the Compensation Scheme and the main function of the Board is this: In regard to all important matters of policy where the Ministry has to take a major policy, decision with regard to the implementation of the Compensation Scheme, there is a statutory provision that I shall take the advice of this Board. It is left to me to accept it or not, but it is obligatory on me, under the Act, to take the advice of the Board, and from the very beginning, this Advisory Board has been functioning. In this connection, I may mention the names of some of the members of the Advisory Board. One is Mr. Jaspat Roy Kapoor, an hon. Member of this House—he is not here today. The hon. Giani Gurmukh Singh Musafir is another member. You may remember Mr. Chandulal Parikh, Sir. He was an hon. Member of this House. He has been associated with my Ministry since a very long time, and has been the Chairman of this Board. And we have another refugee leader, from Delhi, Mr. Jag Parvesh, who has been closely associated with the refugee task. These are some mem-

[Shri Mehr Chand Khanna.] bers of the Advisory Board which has been advising me on all matters relating to the implementation of this scheme, and they have done very good work, and I am grateful to them. They have been functioning for the last four or five years. At times they may have to take certain decisions which are objectively correct, but which from the view point of the displaced persons, may be a little embarrassing. But their approach has always been objective, and they have given me a tremendous amount of guidance and strength. I am grateful to them.

Sir, though the Act has created this Board, there is no provision for the determination of the life of this Board. After the compensation work is over, after most of the work in the Ministry is completed and after the other work is transferred to the permanent Ministries of the Government of India, there will be very little work left. To that extent I feel that there is a necessity for this Board to function, to give me advice and to help me. But after the western wing of the Ministry is wound up, there will be no need for this Board. So, I have taken powers to dissolve this Board under clause 8. But I want to give an assurance to this House, as I gave it to the other House, that it is no intention of mine to see the end of the Board before I see my own end. My intention is that my end and the end of the Board should be coterminous. Once the western wing of the Ministry is wound up, there will be no necessity for the Board, because the Compensation Scheme, for which this is meant to give advice, will have been completed in its entirety. So, the idea is that the life of the Board should be coterminous with the life of the western wing of this Ministry.

These are some of the points which I wished to make about this Act. The amending Bill is simply with a view to removing certain difficulties. It is no intention of mine not to give com-

pensation to those who have not received it. It is no intention of the Government to change in any way the scale of compensation, and it is no intention of the Government that any measure should be adopted towards the fag end of the Ministry or the Scheme, which should cause any harassment to those who should have relief and who should be treated with sympathy and consideration. You will remember, Sir, that a few months back, I came forward with a Bill and you armed me with powers to have a man arrested for non-payment of dues. I told you then that my arrears were to the extent of Rs. 8 crores. Though the arrears have remained—possibly, some amounts have been realised—up till now; not a single person, as far as I know, has been arrested under the powers given to me. So, I would beg of the House to have faith in me, confidence in me, as they have all expressed, and my only object in bringing this Bill before the House is to see that all those small difficulties are removed and anything done should be in the interests of the displaced persons and that no power should vest in any individual after the whole thing is done.

With these words, I commend this Bill to the House.

The question *loas proposed*.

श्री अब्दुर रज्जाक खान (पश्चिमी बंगाल) : जनाब डिपुटी चेयरमैन साहब, इस बिल को देख कर मुझे तो बड़ी हैरत हो गई थी; जैसे कि आसमान से कोई गिरता है। अचानक में पड़ गया, इसलिये कि मैं तो इस खयाल में था कि शायद अब तक पांच साल के अरसे में मगरिबी इलाके के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को अब तक पूरा कंपेंसेशन दे दिया गया होगा। लेकिन इस बिल को देखकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैं कुछ और खयाल में था और यहां मामला दूसरी तौर पर चल रहा है। पांच साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। कुछ रुपये की भी

कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसा कि रिपोर्ट सुनी जाती है, तीस साल, चालीस साल, पचास साल के कुछ बदनसीब ऐसे रह गये होंगे जिनके मुताल्लिक अभी क्या होगा, किस्मत में उनके क्या लिखा है, वह मालूम नहीं। शालिबन अब तो यह सूरत है कि कुछ शोशे उसमें और निकल आए हैं। अब वे शोशे हमवार किये जायें और हमवार करके फिर उनको यह कंपेंसेशन दिया जाय। इसमें दिक्कत और कुछ हो न हो, लेकिन काफी देर होगी, ऐसा मालूम होता है और इसका मुझे बहुत अफसोस है। कंपेंसेशन देने में जितनी देर होगी उतना ही मेरे खयाल में कंपेंसेशन देने का जो मकसिद है वह गायब हो जाता है और इस तरीके से जो आज आप केसेज ले रहे हैं कि शोशा निकल आ रहा है, इस किस्म के शोशे और निकल सकते हैं। यह देरी का ही नतीजा है, यह समझ लीजिये। उनको पहले ही जायदाद दे देते तो आज यह बिल जिस मवसद से लाया जा रहा है—सेवशन २ का मैं जिक्र कर रहा हूँ—वह आता ही नहीं। पांच साल क्वल अगर आपने कंपेंसेशन उनको दे दिये होते तो मेरे खयाल में आज जो दुश्वारी आपके सामने आई है यह न आई होती। तो यह देरी का नतीजा है और जितनी देर होगी न मालूम आगे और कोई शोशा न निकल आये। मेरे कहने का मकसद तो यह है। यूँ तो बिल ठीक है, बहरहाल ये जो शोशे निकल आये हैं उनको हमवार करने के लिये जो बिल लाया गया है मैं उससे इतिफाक करता हूँ। मैं मुखालिफत नहीं करता। इसके बगैर और कोई सूरत ही नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है उस देरी पर और मुझे खतरा लगता है कि कोई और शोशा न निकल आए।

जिस वक्त पहले पहल यह बिल आया था उस बिल को पास करने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया था। उस वक्त कतई यह खयाल नहीं था कि कोआपरेटिव के जरिये जो

कज्र दिये जायेंगे वह कंपेंसेशन पूल में दाखिल हैं। कंपेंसेशन पूल में कोआपरेटिव के कज्र दाखिल नहीं थे उस वक्त मेरे खयाल में। लेकिन अब मामला इस तरीके से चला है कि मालूम नहीं कज्र किस तरीके से दिये गये, कंपेंसेशन पूल में से दिये गये। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि कंपेंसेशन पूल कोआपरेटिव की मार्फत लांग टर्म लोन दिये गये। मैं तो इससे इतिफाक नहीं करता। लांग टर्म लोन देने के मानी यह होते हैं कि उसको यकायक आप एडजस्ट नहीं कर सकते, मुश्किल आ जाती है, पेचीदगी आ जाती है। चुनावे उस वक्त के खयाल में, यानी पेरेंट बिल के खयाल में यह दाखिल नहीं था कि कंपेंसेशन पूल में वह दाखिल है। लोन अलबत्ता दाखिल था मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोआपरेटिव का लोन, यह दाखिल नहीं था। अब जब कोआपरेटिव उसमें दाखिल हो गया है और वह लांग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको यकायक आप कर देंगे लेकिन उसमें दुश्वारियाँ पैदा होंगी, इसका अंदेशा है। तो जरा पेचीदगी मालूम हो रही है। आप उसको हल तो कर लेंगे लेकिन हल करते करते शोशे और भी निकल आयेंगे। बहरहाल उन बेचारे बदनसीब लोगों से मैं हमदर्दी करता हूँ जो कि पहले पार हो गये होते और उनको इस गढ़ में पड़ना नहीं पड़ता। जिनको पहले कंपेंसेशन मिल गया है, उनमें ऐसे लोग भी जो कज्र में दाखिल थे वे पार हो गये हैं और उनके मुताल्लिक कोई ऐसी बात पेश नहीं आई थी, लेकिन इन बेचारों के ऊपर यह मुसीबत आ गई है। बहरहाल, मिनिस्टर साहब यह समझ गये होंगे कि ये पीछे वाले लोग बड़े बदनसीब निकले और इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वह पहले वालों के साथ नहीं किया गया था। चुनावे मैं चाहता हूँ कि जरा हमदर्दी के साथ, इंसानियत का जज्बा ले के उनके साथ भी सलूक किया जाय। क्यों? इसलिये कि कज्र दिये गये हैं तो लिख लिया गया है कि कालोनी बनाने

[श्री अब्बदुर रज्जाक खान]

के लिये, मकानात बनाने के लिये कुछ रुपये दिये गये हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग के लिये या इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कुछ दे दिये गये हैं यह सब कंपेंसेशन पूल में दाखिल नहीं हो सकता। आपका इसमें कुछ ऐसा भी रुपया होगा जो आपके बजट से खर्च होना चाहिये। आज जो ट्रेनिंग पर या किसी इंडस्ट्री पर इस्तेमाल कर रहे हैं यह तो बजट से खर्च होना चाहिये, लेकिन आपने कोआपरेटिव पर, कंपेंसेशन पूल पर जो खर्च किया वह सब बसूल करना चाहते हैं। रिफ्यूजियों के लिये जो आपने थोड़ा बहुत किया जिसको बजट में करना चाहिये था, वह भी आप छीने ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा शक मालूम होता है। अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब तशरीह कर के इस चीज को हमें बतला दें और साफ कर दें वरना और तो कोई बात नहीं है लेकिन और शोशे निकलने का खतरा है। खैर, आप कामयाबी के साथ शोशे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिये मैं आनरेबिल मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ। कुछ तो अपना काम खत्म करने में उनको देर हो रही है। इसमें उनकी नाकामयाबी जरूर है, लेकिन बड़ी कामयाबी यह भी है कि कुछ देर हुई सही, लेकिन शोशे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे याद रखें कि इस सारे कंपेंसेशन को देने में देर नहीं लगानी है कि नये सिरे से हिसाब किताब करें। मैंने कुछ यह भी सुना कि, साहब, दस साल पहले कुछ जांच पड़ताल की गयी थी और अब दोबारा उस पर जांच पड़ताल की जायेगी। यह तो बड़ी खतरनाक बात है। जो बात हो रफा दफा की जाय और मामला खत्म किया जाय। आपको अगर जगह की जरूरत है तो वह दुनिया में बहुत पड़ी है। सैक्शन दो के मुताल्लिक मुझे यही अर्ज करना था।

सैक्शन तीन या चार के मुताल्लिक मुझे ज्यादा कहना नहीं है।

एक बात यह है कि इवैक्यू प्रापर्टी के मुताल्लिक काफी मुश्किलात पेश आती रही हैं। मैं यह चाहता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तरफ से यह पक्का वादा किया जाय कि नान इवैक्यू प्रापर्टी चाहे किसी तौर पर हो—जैसा कि तजबीज किया गया है—मिले। यह मामला बातों पर ही खत्म न हो जाय; क्योंकि जो प्रापर्टी तय हो गई है—नान इवैक्यू प्रापर्टी के लिहाज से—उन्हें वह वापस दी जाय। अगर किसी सूरत से उन्हें वापस नहीं दी जा सकती है तो और तरह से उन्हें देने का इंतजाम किया जाना चाहिये। मैं नहीं चाहता हूँ कि यह किस्सा आगे के लिए भी चलता रहे। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो वादा करते हैं उसे पूरा किया जाना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि वह खुशी के साथ अपने वादे को पूरा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।

श्री पा० ना० राजभोज (मुम्बई) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक संशोधन के रूप में आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत आवश्यक है और इसलिए मैं मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ। यह बिल चार-पांच दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सब से पहले तो यह बात कही गयी है कि बहुत से शरणार्थियों की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनको सरकार ने बड़े बड़े कर्ज दिए हैं और उनको कर्जा दे कर बनाया है। वह पैसा शरणार्थियों को मकान बनाने और अन्य फायदे के लिये मिले। कई लोगों की प्रत्यक्ष भी मदद की परन्तु कोआपरेटिव के मारफत भी फायदा हो गया। यदि ये सोसाइटीज अपने आप यह कर्जा चुका दें तो ठीक है, परन्तु यदि ऐसा न हो तो वे

अपने सदस्यों से वसूल करें और वह पैसा सरकार का ही रहे और उसको वसूल करने के लिए उसके पास अधिकार हो। तो मेरी दृष्टि से यह बात ठीक है। सरकार ने शरणार्थियों पर काफी पैसा खर्च किया है कंपेंसेशन के रूप में तथा दुःखी भाइयों का दुःख हलका करने के लिए, किन्तु हम यह नहीं चाहते हैं कि यह कर्जा माफ किया जाय और उसको ग्राण्ट समझा जाय। जो कर्जा था वह कर्जा रहना चाहिये और जो ग्राण्ट है वह ग्राण्ट रहे। इसमें सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ग्राण्ट का रूपांतर कर्ज में नहीं होना चाहिये। तो आपने इसको जो 'पब्लिक ड्यूज' डिक्लेयर किया वह ठीक ही किया। ये ड्यूज कंपेंसेशन के रूप में तथा क्लेम्स के सैटिलमेंट लगाये जाने की जो तरतूद है वह अच्छी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है रैस्टोरेशन की। जो प्रापर्टी इवैक्यू नहीं थी, चाहे वह मुस्लिम की हो या नान मुस्लिम की हो, अगर उसको गलती से इवैक्यू डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको रैस्टोर कर दिया जाना चाहिये। मोरल प्वाइन्ट आफ व्यू से यह बात अच्छी है। बड़े-बड़े लोगों की तथा गरीबों की जायदाद गलती से इवैक्यू प्रापर्टी डिक्लेयर कर दी गई है। इसमें मैंने यह सुना है कि हमारे बैरिस्टर साहब आसफअली और शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री सैयदीन साहब की भी प्रापर्टी इवैक्यू डिक्लेयर कर दी गई है और अन्य लोगों को दे दी गयी है। इस तरह से उन लोगों के ऊपर बहुत अन्याय किया गया है। इस तरह के आदमियों ने चाहे भारत का किनारा भी न छोड़ा हो परन्तु उनकी प्रापर्टी ले ली गई है। यह बात ठीक नहीं है, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिये। आप यदि १३ वर्ष की बात को दुबारा विचार के लिए प्रोपन कर रहे हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे और यह काम कितने दिनों तक चलता रहेगा? आज इवैक्यू प्रापर्टी के बारे में यह संशोधन लाये हैं और

कल कोई दूसरा विधेयक लायेंगे, तो मेरी प्रार्थना है कि आप कोई डेट फिक्स करें या यदि वह जायदाद शरणार्थियों के पास ही हो तो उसको निकाला न जाय; बल्कि उसके क्लेम में एडजस्ट कर लिया जाय।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में अनऑथराइज्ड आक्यूपेशन का सवाल पैदा होता है। जब पब्लिक प्रेमिसेज इन्विजन एक्ट चल रहा था तो उस समय गरीबों और हरिजनों पर कितना अत्याचार और अन्याय होता था? तो आज रैस्टोरेशन के नाम से या दूसरे कानून के आधार पर भी उन पर अन्याय होगा। मेरा कहना यह है कि एज फ़ार एज पासिबल कोई भी शरणार्थी को उसकी जमीन से दोबारा उठाया नहीं जाय। मैंने सुना है कि हिसार, काठियावाड़ और लुधियाना में मुसलमानों के जो प्लाट पड़े थे और जिनमें दलित भाइयों ने अपने मकान बना लिये थे, उन्हें खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। जब सरकार की तरफ से इन लोगों की उन्नति के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है तो क्यों सरकार इस तरह से वहाँ पर बसे ३० या ४० कुटुम्ब को नाआबाद कर रही है? ऐसी बात सरकार की ओर से नहीं की जानी चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन शरणार्थियों ने मुसलमानों की कब्रिस्तान में अपने झोंपड़े बना लिये हैं, उन्हें भी तंग किया जा रहा है। मेरे खयाल से इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिये। मेरी प्रार्थना यह है कि जहाँ पर इस तरह के लोगों को उखाड़ा जा रहा है उनको फिर से बसाने के लिये कम दाम पर मकान उपलब्ध होने चाहिये। आखिर यह प्रश्न गरीब, अनपढ़ और शरणार्थियों का है जो हमारे देश की एक बुरी घटना से पैदा हुई है। इस प्रश्न को मानवता की दृष्टि से हल करना चाहिये। अफसरों में जो करप्शन है,

[श्री अब्दुर रज्जाक खान]

हैरासमेंट करने की दृष्टि है, उसे दूर करना चाहिये । आपने क्लोज चार में लिखा है :

"Where a managing officer or a managing corporation is satisfied that any person, whether by way of allotment or lease, is, or has at any time been, in possession of any evacuee property acquired under this Act to which he was not entitled, or which was in excess of that to which he was entitled, under the law under which such allotment or lease was made or granted, then, without prejudice to any other action which may be taken against that person,"— इसमें आगे कहा गया है— the managing officer or the managing corporation may, having regard to such principles of assessment of rent as may be specified in this behalf by the Central Government, by order, assess the rent payable in respect of such property and that person shall be liable to pay the rent so assessed for the period for which the property remains or has remained in his possession."

मेरे खयाल से यह जो क्लोज चार में लिखा है और जिसको मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अफसर ही इस बात को निश्चित करेंगे और मेरी दृष्टि में उन्हें इस तरह से ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं । उस पर कुछ न कुछ अपील होनी चाहिये । वह अफसर अपनी ही जायदाद का किराया मुकर्रर कर रहा है, यह गलत है, और उससे वहां पर शरणार्थियों का भला कैसे होगा, इसका खयाल मिनिस्टर साहब को पर्सनल सुपरविजन से करना चाहिये ।

आखिर में एक बात और कहूंगा और वह इस मिनिस्ट्री को खत्म करने के बारे में है । अपने पिछले साल के बजट के भाषण में मिनिस्टर साहब ने कहा था :

"This is not a Ministry which can be made a permanent Ministry. If it was, the real object of rehabilitation would be defeated."

तो यह ठीक है और शरणार्थी और अन्य नागरिकों में जो डिस्टिक्शन है वह नष्ट होना चाहिये । आप ऐडवाइजरी बोर्ड पहले खत्म कर रहे हैं, किन्तु मिनिस्ट्री चल रही है । इससे क्या न्याय मिलेगा ? आपने कहा था :

"I feel the greatest achievement that the Ministry can achieve is to liquidate itself. I want my displaced friends to be bodily integrated in the life of the country and not to be called displaced persons for all time to come."

यही बात मैं हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मिनिस्ट्री बन्द करने की वजह से जो काम रह गया है उसको एक अलग सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री बना के उसके सुपुर्द किया जाय और सारे सामाजिक प्रश्न भी उसमें दाखिल किये जाय और हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर को सोशल मिनिस्टर बना दिया जाय ।

श्री अमोलख चन्द (उत्तर प्रदेश):
 वह वाद की बात है ।

श्री पा० ना० राजभोज : मैं जानता हूं, लेकिन मैं हर एक बात नहीं कहना चाहता हूं । अभी जो एक वेलफेयर बोर्ड बना है, वह खाली औरतों के लिए बना है । मैं समझता हूं कि हरिजन, आदिवासी और दूसरे गरीब भाइयों के लिए यदि एक सोशल मंत्रालय बन जाय तो काम बहुत अच्छी तरह होगा । जो हजारों वर्ष से दबे हुये हैं उनकी अभी तक उन्नति नहीं हुई है और हरिजनों के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है और हर वस्तु बिल लाना पड़ रहा है, यह बड़े दुःख की बात है । यह ठीक है कि

कुछ कारणों से हरिजन भाई दुःखी हुये हैं, लेकिन हम भी हजारों वर्ष से दबे हुये हैं। मैं यह नहीं चाहता कि हरिजनों के लिए कोई अलग मिनिस्ट्री बनाई जाये। मैं यह चाहता हूँ कि एक सोशल मिनिस्ट्री बना दी जाय और उसके सुर्द सारे सामाजिक प्रश्न कर दिये जायें। हमारे मिनिस्टर बड़े अनुभवी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए यदि उनका एक्सपेरियंस हमें और दूसरे सोशल प्राब्लम्स में मिले तो, यह बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे गृह मंत्री जो और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भाई साहब को इधर से उठा कर उधर लगा दें; क्योंकि अब यह मिनिस्ट्री खत्म होने जा रही है। अंत में यह जो बिल हमारे सामने आया है, इसका मैं फिर समर्थन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि जो सुझाव इस हाउस के सामने दिये गये हैं। उन पर अमल होना चाहिये। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री निरंजन सिंह (मध्य प्रदेश) : उप-सभापति महोदय, इस बिल में केवल तीन ही बातें हैं जिनके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। एक तो इसमें कोप्रोपरेटिव सोसाइटी का कुछ विश्लेषण हो गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर को यह कोप्रोपरेटिव सोसाइटी की बात आज क्यों आई? कोप्रोपरेटिव सोसाइटी जब बनी होगी, तब कोई मकसद लेकर बनाई गई होगी। इसी तरह यदि हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई होगी तो उसको ३० साल का लोन दिया गया होगा जैसा कि गवर्नमेंट सब को देती है। यदि किसी इंडस्ट्री के परपज के लिए सोसाइटी बनाई गई होगी तो उसमें भी जितनी लागत होती है उससे दस गुना गवर्नमेंट लोन देती है। लेकिन आज अचानक आप उसको कर्ज के रूप में परिणत कर रहे हैं, यह क्या बात है? यह हो सकता है कि बहुत सी

सोसाइटीज बनी हों और उन्होंने रुपया ले लिया हो और अब मकान गिर गये हों और उनके पास कुछ न हो, इसलिए आप उनसे कम्पेंसेशन लेना चाहते हों। लेकिन जब कोई मकान बंटा होगा और गवर्नमेंट में गिरवी रखा गया होगा, तभी रुपया दिया गया होगा। इसलिए जब तक ऐसी सोसाइटीज फेल न हों। वतक इस चीज को लाने की क्या आवश्यकता हुई, यह माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया। इसमें काम्प्लीकेशंस ही खड़े होंगे और कोई दूसरी चीज होने वाली नहीं है; जैसा कि मंत्री जी ने कहा, मैं मानता हूँ कि पहले वे एक बिल लाये और वह ऐक्ट बन गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी को कनविकट नहीं किया। जिसके पास एरियर बाकी था उसको जेल नहीं भेजा, यह उनकी उदारता है, लेकिन यह कौन जानता है कि कौन आदमी कब कहां पहुंच जाय? लेकिन जब एक कानून बन जाता है तो वह हमेशा के लिए एक परिपाटी बन कर बैठ जाता है। कानून सदियों और वर्षों तक रहने वाला होता है, किसी व्यक्ति के साथ जाने वाला नहीं होता है। व्यक्ति विशेष अच्छा हो सकता है, लेकिन जहां पर एक बार कागज में लिख दिया गया, किताब में लिख दिया गया, वहां पर शब्दों का काम होता है, व्यक्ति का काम नहीं होता है। इसलिए यह क्यों जोड़ा गया है, यह अभी तक मुझे नहीं मालूम हो सका है। इस सम्बन्ध में न इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में कुछ लिखा है और न इसमें जो क्लोज जोड़ा गया है उसमें कुछ लिखा है। इस तरह जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा : यह होगा कि जिनके लिए आपने रुपया दे दिया वे बच गये और जिनको आज कम्पेंसेशन देना है वे फंस गये। आखिर यह पाशियलिटी क्यों है? हमारे कांस्टिट्यूशन में यह प्राविजन है कि हम किसी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन एक ही क्लास के आदमियों को सरकार डिस्क-

[श्री निरंजन सिंह]

मिनेट करना चाहती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरी बात जो इसमें अनअथाराइज्ड अकूपेशन की है, उसमें रेंट लेना तो ठीक है, लेकिन इसमें जो "डैमेज" शब्द आया है उसका क्या अभिप्राय है? जिस आदमी ने घोखा देकर किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसपर आप मुकदमा चलाइये या कुछ कीजिये, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन किसी जमीन पर कोई आदमी अगर १२ साल से कब्जा किये हुये हैं और उसने अपना मकान बना लिया है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार यह है कि जमीन को वह खराब नहीं कर सकता है और किसी जमीन पर मकान बनाना उस जमीन को खराब करना है। इसलिए यदि उसने मकान बना लिया तो आप उसके ऊपर डैमेज की नालिश करेंगे या डैमेज वसूल करेंगे? यह उस आदमी के ऊपर अन्याय होगा। अगर किसी आदमी के अकूपेशन में कोई जमीन है और वह उसपर गूड फेथ में मकान बनाता है, तो क्या आप डैमेज लेंगे? इसके अलावा अगर कोई आदमी किसी जमीन में कुआं बनाता है, तो वह उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, लेकिन कहीं कहीं टेनेंसी ऐक्ट में यह भी दिया गया है कि गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ अगर कोई आदमी इम्प्रूवमेंट करता है तब भी उससे डैमेज वसूल किये जा सकते हैं। खासकर के हमारे प्रांत में जो पुराना टेनेंसी ऐक्ट था उसमें यह दिया हुआ था कि यदि कोई गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कुआं बनाये तो उससे डैमेज वसूल किये जा सकते हैं। मैं कुएं की बात जानें देता हूं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि यदि कोई ईंटों का भट्टा लगाता है और उसके लिए जमीन खोदता है, तो उससे सरकार कहेगी कि तुमने लैंड को डैमेज किया है, इसलिए तुम को कम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इस प्रकार यह जो

'डैमेज' की परिभाषा यहां पर की गई है, यह आदमियों को बाद में परेशान करने वाली होगी। बिल्डिंग्स के सम्बन्ध में भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी बिल्डिंग में यदि कोई दरवाजा खोल लेता है, खिड़की खोल लेता है, या गुसलखाना बना लेता है, तो वह बिल्डिंग को डैमेज करता है। एक बिल्डिंग जो बनी हुई है, उसमें किसी तरह का आल्टरेशन करना डैमेज में आयेगा। तो वह आदमी जो बारह साल से रहता है और अपने सुगीत के लिये उसमें कुछ आल्टरेशन करता है उसको डैमेज के अन्तर्गत आप पकड़ में ले आयेगे। इसलिए यह जो प्राविजन आपने किया है उसमें भी कठिनाई आने वाली है।

इसके बाद, उपसभापति महोदय, को-शेयरर्स की बात आई है। मुझे मालूम है, कई ऐसी बेवाएं हैं जिनको रहने को मकान नहीं है, वे झोंपड़ी में रहती हैं; क्योंकि उनके मकान बेच दिये गये हैं। इसमें उनके लिये कोई प्राविजन नहीं है। केवल इतना कहा है कि राइटफुल एयर। राइटफुल एयर की डेफिनिशन कौन करेगा? पहले सरकार ने राइटफुल एयर की डेफिनिशन कर रखी है और प्रापर्टी को एक बार डिक्लेयर करा दिया है। आज भी वही सवाल आने वाला है, आपका ही डिपार्टमेंट करने वाला है कि यह आदमी सचमुच में राइटफुल एयर है या नहीं, इसका बच्चा उत्तराधिकारी है या नहीं, यह आप ही डिसाइड करेंगे। जहां कोई को-शेयरर हो उसकी यहां कोई बात नहीं की गई है। आपने उदाहरण दिया...

श्री मेहर चन्द खन्ना : That is covered in tomorrow's Bill.

कल का जो बिल आयेगा उसमें को-शेयरर का जिक्र आया है। इसमें नहीं है।

श्री निरंजन सिंह : मैं तो आज की बात कह रहा हूँ। कल का बिल आयेगा तो आयेगा।

श्री मेहर चन्द खन्ना : वह इसमें नहीं है, वह इवेक्यूयी प्रापर्टी ऐक्ट में है।

श्री निरंजन सिंह : मान लीजिए एक वृद्धि है जो मुचुमि ऐक्ट के अनुसार गवर्न होती है। अब्दुर रहीम जैसा आपने बताया, उसके नाम मकान है। लेकिन हिन्दू सोसाइटी में यह है कि Co-shares have equal right.

श्री मेहर चन्द खन्ना : कल वह इवेक्यू प्रापर्टी ऐक्ट में आ रहा है।

श्री निरंजन सिंह : ठीक है, तो कल ही बोलूंगा।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनाबेवाला, मैंने आनरेबल मेम्बर रज्जाक साहब जो कि मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं, उनकी तकरीर को बहुत गौर से सुना। कुछ आपने मुबारकबाद दी, कुछ ताने लगाये और कुछ ऐसे भी खयालात का इजहार किया कि इसमें कुछ छूपी सी चीजें हैं और मैं इशारतन और कनायतन उनका फायदा उठाना चाहता हूँ।

श्री अब्दुर रज्जाक खान : हर्गिज नहीं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : तो मैं यह सोच रहा था कि क्या मेरे भाई यह जो बात कर रहे हैं इस खयाल से कर रहे हैं कि मुखालिफ बेंच पर बैठे हैं या दरहकीकत उन्होंने यह जो बिल, यह कानून एवान के सामने पेश है उसको कुछ गौर से पढ़ा है, कुछ देखा है, या फिर यह बात है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आई है तो हमने उसकी मुखालिफत करनी ही है ?

श्री अब्दुर रज्जाक खान : मुखालिफत तो की ही नहीं गई है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आपने अपनी तकरीर में यह जिक्र फर्माया, एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंसानियत का जज्बा होना चाहिये इस मिनिस्ट्री में जब कि शरणार्थियों के मामले में हम कुछ कार्रवाई करते हैं। मुझे ये अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। मेरे में कमजोरी जरूर है, मैं मानता हूँ और एतराफ करता हूँ लेकिन आप इस गवर्नमेंट को, इस मिनिस्ट्री को इंसानियत के जज्बे से ताने देना, कुछ उनकी शान के शायं नजर नहीं आता, इसलिये कि इस गवर्नमेंट ने तकरीबन आज तक ३६० करोड़ रुपया शरणार्थियों को बसाने में लगाया है और आज उसका काम, जहां तक मशरिकी हिन्दुस्तान से जो शरणार्थी आये हैं, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। मालूम नहीं कितना अरसा अभी और लगेगा। दुनिया में मिसालें मिलती हैं शरणार्थियों को बसाने की, शरणार्थियों की मदद करने की लेकिन हिन्दुस्तान की तवारीख में यह पहली मिसाल होगी और दुनिया की तवारीख में भी कि जहां एक गवर्नमेंट ने जो कि गरीब है, वह गवर्नमेंट जो कि हिन्दुस्तान से बाहर के मुल्कों से सकड़ों करोड़ रुपया कर्जा लेती है, उसने एक मिसाल कायम की कि अपने तमाम शरणार्थियों को जो कि पाकिस्तान से गुजर कर यहां आए उनको इवजाना दिया। दुनिया में मिसाल है रिलीफ देने की, दुनिया में मिसाल है रिहैबिलिटेड करने की। लेकिन दुनिया में मिसाल इवजाना देने की, कंपेंसेशन देने की नहीं है। और आज इस गवर्नमेंट को यह कहना कि इंसानियत के जज्बे से इस चीज को देखे, मेरे खयाल में अपनी आंखों पर पट्टी बांधना है।

जनाबेवाला, मुझ से कहा गया कि जरा दीन मुहम्मद और रहीम बख्श का खयाल रखो। हमें फख है, हमारा सिर ऊंचा है। आज हमारा सिर ऊंचा है दुनिया में [इसलिये कि हिन्दुस्तान एक स्टेट है जो कि सेकुलर स्टेट कहलाती है। मेरे पुराने बुजुर्ग जो कि पहले वजीर थे, इस मिनिस्ट्री के मेरे सामने

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

बैठे हैं। दूसरे भाई चले गये। जनावेवाला, हिन्दुस्तान ने १९५४ में इवैक्यूई प्रापर्टी लॉ को यूनीलेटरल बेसिस पर एन्नोगेट किया है। हमने पाकिस्तान में ५०० करोड़ की जायदाद छोड़ी थी, आज हमारी हिन्दुस्तान में १०० करोड़ की जायदाद है।

श्री अब्दुर रज्जाक खान : उससे किसको इंकार है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : गोकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के इवैक्यूई प्रापर्टी लॉ भी और कस्टोडियन का महकमा भी एक साथ शुरू हुए थे लेकिन हिन्दुस्तान वह एक देश है जिसने इस मामले में १९५४ के अखीर में इवैक्यूई प्रापर्टी लॉ को एन्नोगेट किया और यह फैसला किया कि ७ अप्रैल, १९५५ के बाद, यानी आज से पांच वर्ष पेशतर, अगर किसी आदमी के बरखिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा था तो नया मुकदमा भी नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान से गोकि पंजाब, सिंध, बहावलपुर, बिलोचिस्तान के तकरीबन तमाम हिन्दू यहां आ चुके, कुछ थोड़े से हिन्दू सिंध में बाकी हैं, लेकिन आज भी वहां इवैक्यूई प्रापर्टी लॉ चल रहा है। तो हमने एन्नोगेट किया यूनीलेटरली, जो कि चार सौ करोड़ से ज्यादा की जायदाद छोड़ आए थे पाकिस्तान में लेकिन हमने यह इसलिये किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो नागरिक हैं उनके दिमाग में हमेशा एक इन्सीक्यूरिटी रहे। उनके दिमाग में यह रहे कि आज नहीं कल कस्टोडियन का महकमा हमारी जायदाद को निकासी करार कर सकता है। तो हमने वह जायदाद पांच साल पेशतर खुद ब खुद बगैर पाकिस्तान की सरकार का इंतजार किये गैर निकासी करार कर दी।

मुझे अफसोस है मेरे दोस्त अभी यहां से उठ कर चले गये। वे कहते थे कि मैंने जंच पड़ताल शुरू की। ठीक है, मैंने की। मैं आज इस ऐवान के सामने यह कहना चाहता

हूँ कि मैंने जंच पड़ताल गरीब के क्लेम की नहीं की, मैंने जंच पड़ताल दोबारा शुरू की उन आदमियों की जिनके लाखों रुपये के क्लेम थे। और उसकी वजह क्या थी? दो बरस हुए, पाकिस्तान ने हमें तजवीज दी कि हम चाहते हैं कि पांच लाख रुपये के ऊपर के जो आपके क्लेम्स हों वे हम देखेंगे। जो पांच लाख के ऊपर हमारे क्लेम्स हों आप देखिये, ताकि दोनों परफ से किसी भाई को चाहे हिन्दू हो या मुसलमान जो कि उसका हकदार नहीं है उसको नाजायज फायदा न पहुंचे। तो हमने इस चीज को माना। इसलिये माना कि हम तो ५०० करोड़ रुपये लेने के हकदार थे। मैंने कहा, चलिये रास्ता खुला है। आज तक पाकिस्तान ने कोशिश की कि जितने हमारे मुआहिदे थे उन पर कायम न रहे। लेकिन इस मामले में यह चीज आई कि दो बरस हुए जब मौलाबख्श मिनिस्टर थे, उन्होंने तजवीज पेश की और उसको मैंने मान लिया। मैंने पहले अपने घर की जरा जंच करता शुरू की। मैं नहीं चाहता था कि मेरा क्लेम जो पाकिस्तान के बरखिलाफ ५०० करोड़ रुपये का है, यह न हो कि छोटी मोटी कम-जोरी से मेरा वह केस प्रेजुडिस्ड रह जाय। इसलिये मैंने क्लेम्स की खानबीन करायी ताकि जो केसेज में पाकिस्तान को दूँ वे बिल्कुल दुरुस्त होने चाहियें जिससे आगे कोई दिक्कत न हो। इसीलिये मैंने चन्द अप्रसर मुकर्रर किये कि हर एक बड़े क्लेम को कसौटी पर रख कर देखें। आप तो जानते हैं कि हमें इस महकमे में तो खास फलों के हार कोई मिले नहीं, गालियां ही हमें पड़ती रहती हैं। अभी मगरिबी पाकिस्तान से जान छटी है तो मशरिकी पाकिस्तान में मेरे दोस्त—वे आज यहां मौजूद नहीं हैं—काफी कोशिश में रहते हैं कि वहां कोई न कोई चीज हमेशा के लिये चलती रहे। तो जनाब, हमने यह चीज की कि पाकिस्तान का वह जो प्रपोजल था उसको माना। जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ रिजीम आई, तब उन्होंने कहा कि यह जो

समझौता तुम्हारे और हमारे प्रेडीसेसर के बीच हुआ था उसको हम नहीं मानते और हम अपना एक आर्डिनेन्स जारी करके उन लोगों को वाणिग देंगे जिन्होंने एक्सेस वलेम किये हैं। आपने अखबारों में पढ़ा है कि सैकड़ों करोड़ों के वलेम्स लोगों ने वापस किये हैं।

तो यह इसलिये नहीं किया गया कि मैं यह चाहता था कि इस मिनिस्ट्री की जान ज्यादा कायम रहे। मैं यह मिनिस्ट्री खत्म करना चाहता हूँ, मुझे इसे खत्म करने के लिये किसी ने नहीं कहा। आज तो हालत यह है कि जब आखिरी वक्त आया तो हर एक आदमी मेरी जान के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, जितने अफसर हैं, के भी प्रार्थना करते हैं कि यह मिनिस्ट्री कायम रहे। जिल्ले सियासी लीडर हैं—खासकर बंगाल के—वे भी प्रार्थना करते हैं कि यह मिनिस्ट्री जिन्दा रहे। मेरे हरिजन भाई यह कहते हैं कि तुम्हें यहां गालियां खाते काफ़ी तजुर्बा हो गया है अब थोड़े समय के लिये सोशल वेलफेयर में आ जाइये। तो हमारी यह प्रार्थना है—मुझे खुद शौक है कि जो काम दस बारह वर्ष से हो रहा है—जिस काम को मेरे प्रेडीसेसरों ने बहुत अच्छा किया वह खत्म हो। तो मैं अपने भाई श्री निरंजन सिंह से यह कहना चाहता हूँ और अपने राजभोज से भी कि आपने कोआपरेटिव के मामले को समझा नहीं। अगर वे मामले को समझते तो वे मेरी सराहना करते कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, यह जो डैफनिशन है पब्लिक ड्यूज की परेन्ट एक्ट में ये अलफाज हैं :

"Any amount recoverable, whether in one lumpsum or in instalments from the displaced persons on account of loans granted to him by the Central Government or a State Government or the Rehabilitation Finance Administration constituted under the Rehabilitation Finance Administration Act, 1948 and any interest on such loan ..."

लोन्स डिफाइन्ड है, आर० एफ० ए० लोन्स डिफाइन्ड है। लेकिन हमें आज लीगल ओपीनियन मिलती है और एक स्टेट गवर्नमेंट ने यह मामला उठाया है कि जो लोन्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिये जाते हैं वे इस डैफनिशन के नीचे कवर नहीं होते। मैं आज इस बात का हकदार हूँ कि जो करोड़ों रुपया लोन में दिया गया है उसको मय सूद नकद वसूल करूँ। लेकिन मैं यह चीज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता कि अपने इस वक्त का फायदा उठाता तो मैं आपके सामने यह अमेंडिंग बिल नहीं लाता।

श्री निरंजन सिंह : मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ और वह यह है कि दूसरे कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जहाँ लोन्स एडवान्स करते हैं, उनको ऐज लोन कब देते हैं? जब सोसाइटी लिक्विडेशन में आ जाय तब उसकी प्रापर्टी पर देते हैं या जब सोसाइटी डिजौल्व हो जाय।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं किसी कोआपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को लोन नहीं देता हूँ। जो भी लोन्स दिये जाते हैं वे सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट्स के मार्फत दिये जाते हैं—गवर्नमेंट आफ इंडिया डायरेक्टली किसी को लोन नहीं देती है। जब हमने शुरू में लोन्स की स्कीम बनाई थी तो हमारे लोन्स दो चार कामों के लिए ही दिये जाते थे। जैसे मकान बनाने के लिए, तिजारत करने के लिए, बैल, गाय, और भैंस खरीदने के लिए। हर एक शरणार्थी को जिनकी तादाद लाखों में है इस तरह से करोड़ों रुपया मिला और ये लोन्स वे कम्पेनसेशन एक्ट के मातहत अपने कम्पेनसेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि उनको यह रियायत भी दी गई है कि किसी खास तारीख से उन्हें सूद भी माफ़ है। इस तरह से आर० एफ० ए० का जो ६ करोड़ रुपये का लोन इन लोगों के ऊपर है उसको मय सूद के और पुराने फ़ैसले के मुताबिक वसूल किया जा सकता था लेकिन हमने यह नहीं किया। हम इन लोगों को नकद

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

रुपया ज्यादा नहीं दे सकते हैं और न पूरा क्लेम ही दे सकते हैं। लेकिन हमने उन्हें यह रियायत दी है कि हमने तुम्हें जो लोन दिया है वह तुम अपने क्लेम्स में एडजस्ट करवा लो। अगर हम माननीय सदस्य की बात मान लें तो मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत खुश होगी।

श्री निरंजन सिंह : आपको ये ड्यूज वालंटरी एडजस्ट करने चाहियें और इन लोगों से ये रैक्व्यू वसूल करना चाहिये और वह भी इंस्टालमेंट में। आपको जो ड्यूज लेना है वह दूसरी बात है लेकिन मैं वालंटरी की बात कह रहा हूँ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे भाई मेरी बात को नहीं समझे। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कोई भी शरणार्थी अगर अपना लोन नकद रुपये में या किश्त के मातहत मय सूद के दे तो इस पर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन वह शरणार्थी यह कहता है कि तुमने जयपुर में गांधी मार्केट में मुझे दुकान देकर मालिक बना दिया है और जो दो हजार का कर्जा दिया है वह मेरे क्लेम्स से एडजस्ट कर लिया। वह भाई क्लेम के एवज में इंस्टालमेंट का सैटिलमेंट करा सकता है। लेकिन दूसरे भाई को मकान दिया गया है, उसको बतौर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन मिला है। अगर मौजूदा क़ानून मुझे अधिकार नहीं देता कि मैं उसके बकाया या कर्ज को मय सूद के उसके क्लेम में एडजस्ट कर लूँ। अगर आप यह कहेंगे कि साहब, इतनी देन नहीं होनी चाहिये थी तो मैं कहूँगा कि साहब जब यह मिनिस्ट्री पैदा हुई तो कोई यह नहीं जानता था कि यह मिनिस्ट्री क्या होगी। हमें यह बात मालूम नहीं थी कि इस तरह का तूफ़ान आयेगा, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ़ कैम्प, कालोनीज, कुनैन, कम्बल, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होंगी। हमें यह बात मालूम नहीं थी

कि तीन लाख आदमी एक कैम्प में पड़े रहेंगे। इस मिनिस्ट्री को होम मिनिस्ट्री, फाइनेन्स मिनिस्ट्री या एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री की तरह हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज़ बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। शुरू से आखिर तक इस मिनिस्ट्री में पहिले ही दो चार मिनिस्टर जा चुके हैं और अंतिम संस्कार मेरे साथ हो जायगा।

अब साहब गलतियाँ जरूर हुई हैं, यह बात मैं मानता हूँ। लेकिन परमात्मा न करे यह मुसीबत हम लोगों पर फिर कभी आये। अगर आगे हमारे करने में कोई गलती हो गई है तो मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे बेटे या पोते आयेंगे वे सही रास्ते पर चलें और इस तरह की ग़लती न करें। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमने बहुत सी गलतियाँ कीं जिसका अन्दाज़ा हमें नहीं था। लेकिन जो भी गलतियाँ हुईं वे गुड फ़्रेथ में हुईं। क्योंकि हम जानते नहीं थे। हमको बंटवारे का इल्म नहीं था कि लाखों आदमी उधर से इधर आ जायेंगे, एक तूफ़ान हो जायेगा कोहराम मच जायेगा, किसी बेचारे को जायदाद चली जायेगी तो किसी की बहिन या माँ बाप चले जायेंगे या रह जायेंगे। इस तरह से हमें लाखों लोगों को एक खास असें में बसाना पड़ेगा, यह बात हमें मालूम नहीं थी। चार पांच वर्ष पहले हमने यह एक्ट बनाया था। तो मैं अपने सब भाइयों से अपील करता हूँ कि सरकार के खजाने का जो रुपया है वह उसमें पहुँच जाना चाहिये। हमारे मोरारजी भाई भी खुश होंगे अगर ये लोग अपने क्लेम्स से लोन्स को एडजस्ट करा लें। आर० एफ० ए० मेरे मातहत नहीं है वह तो फाइनेन्स के मातहत है। मुझे इस काम में बहुत सी ग़ालियाँ मिलती हैं और बहुत से हमारे दोस्त जैसे निरंजन सिंह हैं आते हैं और मैं उनकी तकलीफ़ को फाइनेंस तक पहुँचाता हूँ। और इस तरह से मुझे जो ग़ालियाँ मिलती हैं उसका फ़ायदा रियायत की शकल में ले आता हूँ। मेरा

इरादा सिर्फ यह है कि जो कुछ भी रियायत हमारे शरणार्थी भाइयों को मिलती है उससे वे अच्छी तरह से बस जायें और मैं यह महसूस करता हूँ कि जिस गवर्नमेंट ने आज तक ४०० करोड़ रुपया खर्च किया है, लाखों एकड़ जमीन इन लोगों की दी है और १८५ करोड़ रुपया बतौर कम्पनसेशन के दिया है उसका फायदा सब लोगों को मिले। जैसा कि मेरे भाई का खयाल है कि हमारे जो आफिसर हैं वे नाकारा हैं, अच्छी तरह से काम नहीं करते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात नहीं है। हमारे जितने भी आफिसर हैं व सब लोग अपना काम अच्छी तरह से करते आ रहे हैं और इस तरह के नहीं हैं जैसा कि मेरे भाई का खयाल है।

इस एक्ट के साथ साथ हर एक आदमी को सैक्शन ३३ के मातहत अपील करने का भी हक दिया गया है। मेरा इरादा किसी को नाजायज नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा तो यह है कि जिसका जायज हक है वह उसको मिले। एक मिनिस्टर की हैसियत से मेरा यह हक हो जाता है और अखलाकी फर्ज हो जाता है कि हिन्दुस्तान की रेवेन्यू का एक एक पैसा जायज तरीके से सर्फ हो और नाजायज तरीके से सर्फ न हो।

यह कोई ऐसा बिल नहीं है जिसके लिए मैं आपका ज्यादा वक्त लूं। मैं आपके सामने सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक शरणार्थियों का ताल्लुक है—जैसा कि मेरे भाई राजभोज ने कहा कि उन लोगों को उजाड़ा न जाय। मैं उनको उजाड़ंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि अगर एक मुस्लिम भाई का मकान हमारी गलती से गैरकानूनी तौर पर.....

श्री किशोरी राम (बिहार) : मैं एक बात जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान से

जो हरिजन आये हैं उनको बसाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर हिन्दुस्तान का एक बेचारा नागरिक हमारी गलती से निकासी करार दिया गया है, तो मेरा यह अखलाकी फर्ज होता है कि मैं उसका मकान उसको वापस कराऊँ। लेकिन जैसा कि राजभोज जी ने कहा, अगर कोई शरणार्थी मकान बनाता है और उस पर रुपया खर्च करता है, तो मैं यह देखूंगा कि मैं उसको बेदखल न करूं। मुझे दोनों चीजें देखनी होंगी और यह कोशिश करनी होगी कि जहां मैं एक को बसाता हूँ वहां मैं दूसरे को न उजाड़ू। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि मैं हमेशा के लिये यह कह दूं कि कोई मुसलमान या कोई आदमी, जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, अगर उसका मकान मेरे महकमे की गलती से या मेरी गलती से निकासी करार दिया गया है तो वह हमेशा निकासी रखा जाय और वापस न किया जाय। यह गलत चीज होगी। बतौर शरणार्थी के मैं जानता हूँ कि जब एक इंसान को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है तो उसको क्या तकलीफ होती है। मैं ऐसे आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिये तैयार नहीं हूँ।

आखिर में, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री शरणार्थियों को बसाने के लिये है। चाहे कोई हरिजन हो, चाहे कोई नॉन हरिजन हो, चाहे कोई खत्री हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, सबको हम एक ही नज़र से देखते हैं। जहां तक हमारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, चाहे रिलीफ कहिये, चाहे रिहैबिलिटेशन कहिये, चाहे कम्पेन्सेशन कहिये, हर हरिजन या गैर हरिजन के लिये हमारा स्केल एक है, हमारी पॉलिसी एक है। दिल्ली में मैंने बहुत सी कॉलोनीज बनाई और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आम तौर पर इन तमाम कॉलो-

[श्री मेहर चन्द खन्ना]
नीज में हमने हरिजन और गैर हरिजन में कोई इन्तियाज नहीं किया।

श्री किशोरी राम : क्या आप यह अंदाज से बता सकते हैं कि कितने हरिजन बसाये गये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने आपसे कहा कि मेरी मिनिस्ट्री में हरिजनों के आंकड़े नहीं हैं। मेरी मिनिस्ट्री में शरणार्थियों के आंकड़े हैं। आज कोई भी यह कहे कि फ़लां आदमी को कम्पेंसेशन दिया फ़लां स्केल के मुताबिक और फ़लां हरिजन को नहीं दिया तो मैं केस देखने के लिये तैयार हूँ। अगर मुझ से यह कह दिया जाय कि जब तुमने एलॉटमेंट किया तो हरिजन और गैर-हरिजन में इन्तियाज किया, तब भी मैं देखने के लिए तैयार हूँ।

श्री पा० त० राजभोज : जो मैंने आप से कहा, कृपा कर के उसका जवाब दीजिये। मैं यह चाहता हूँ कि जो मकान बन गये हैं उनको तोड़ने का काम नहीं होना चाहिये। आप जो कहते हैं, वह ठीक है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अगर कोई केस मेरे सामने आया तो मैं उसको देखने के लिये तैयार हूँ। वह भाई जो गरीब हैं, दुखी हैं, जिसका कोई वसीला नहीं है, उसके लिये मैं आम तौर पर यह कोशिश करता हूँ कि उसका केस और भी हमदर्दी से देखूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे उन भाइयों का ताल्लुक है, जिनका जिक्र राजभोज जी ने किया है, हमने साल दो साल में बहुत सी रिआयतें दी हैं, और मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि मैं कम्पेंसेशन पालिसी को, या कम्पेंसेशन के स्केल को या कम्पेंसेशन के रूलस को किसी खास आदमी के लिये चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल केस हो और यह समझा जाता हो कि

उसके साथ नाइंसाफी हुई है और वह केस मेरे सामने लाया जाय तो मैं वह केस देखने के लिये तैयार हूँ और जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह मैं करूँगा।

इन चन्द बातों के अलावा और कोई एतराज हुआ नहीं है और कोई अॉडमेंट भी हाउस के सामने नहीं है। इसके लिये मैं हाउस का मशकूर हूँ। दो चार बातों के अलावा, उस भाई ने भी मुबारकबाद दी, राजभोज जी ने भी मुबारकबाद दी और हाउस ने इस बिल को सराहा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 11 to be added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Sir, I move:

"That the Bill be passed." *The*

question was proposed.

श्री अब्दुल रज्जक खान : डिप्टी चैयरमैन महोदय, एक बात की मैं तशरीह करना चाहता हूँ। मेरे खयाल में मिनिस्टर साहब को मेरे खिलाफ बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने उनसे एक बात को एक्सप्लेन करने के लिये कहा था लेकिन एक्सप्लेन करने के बजाय उन्होंने मेरे ऊपर बहुत से इल्जामात लाद दिये। यह बहुत गलत है। मैं यह एलान करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो

कुछ किया गया है या अब किया जा रहा है, उसके मुताल्लिक मुझे कोई शक व शबहाना नहीं है, और यही वजह है कि बिल की मैंने भी तारीफ की है। लेकिन जो डिफिकल्टी मेरी समझ में आई उसी का मैंने इजहार किया कि जो पीछे पड़े हुए लोग हैं, उनसे रुपया वसूल किया जाने वाला है। यह उनके साथ बड़ी बेइंसाफी है। यही बात मैं कहने वाला था और यही कहा। अगर आप को किसी वजह से जलन ही हो, तो मैं मजबूर हूँ। अगर मैं यहां पर हूँ तो मैं जिस रोज को कहना जरूरी समझूंगा उसको जरूर कहूंगा। यह ठीक है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें गलती भी हो सकती है। आखिर, मैं यहां किस लिये हूँ ? अगर मैं आपकी गलतियों की तरफ इशारा न करूँ तो मैं अपने फर्ज को अदा नहीं करूंगा। अगर आप यह समझते हैं कि चूंकि मैं मुखालिफ पार्टी का हूँ, इस लिये गवर्नमेंट की मुखालिफत करता हूँ, तो क्या आपने कभी मुझे ऐसा करते देखा है। जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिये, वह तो आप एक्सप्लेन करते नहीं हैं, और मुझ पर इल्जाम लादते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे भाई ने मेरी तकरीर का एक हिस्सा सुना नहीं क्योंकि वे ऐवान के बाहर तयारी ले गये थे। मैं उनकी इत्तिला के लिये खास तौर पर यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक हिफजानी देने का ताल्लुक है, उसका इस बिल से कोई ताल्लुक

नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज किया था अपनी तकरीर में कि हिफजानी तो मिल रही है। ४ लाख ८५ हजार में से ४ लाख ५७ हजार लोगों को हिफजानी मिल चुकी है और अब भी वह काम जारी है। पहले १० हजार से ऊपर लोगों को मिल रही थी, लेकिन अब हाई केसेज आ रहे हैं, इसलिये तादाद कम हो गई है। तो इस बिल का कम्पेंसेशन या कम्पेंसेशन के स्केल से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग हिफजानी के हकदार हैं उनको तकरीबन ५०, ६० करोड़ रुपया नकद अदा कर दिया गया है और अब प्रायिटी का कोई केस बाकी नहीं है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसका कम्पेंसेशन मिलने या न मिलने से कोई वास्ता नहीं है। इन सब बातों के बारे में जो मैंने अर्ज किया उसको न आपने सुना और न समझा क्योंकि आप बाहर गये हुये थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 17th February 1960.